विचार बिन्दु

"जीवन के अच्छे दिनों में कभी भी उन लोगों को ना भूले जो जीवन के बुरे दिनों में आपके साथ थे।" - अरविन्द कटोच

क्या गैर कानूनी सामग्री को अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकार जैसा संवैधानिक संरक्षण है?

बसंविधान का विद्यार्थी यह भली भंति जानता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के संविधान ने दिया है। कुछ ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसकी समझ में यह भी आ जाता है कि अभिव्यक्ति का यह अधिकार निरंकुश नहीं हो सकता। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारन्टी दी जाने की व्यवस्था है। भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर नेहरू निर्बाध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरूद्ध थे। अत: संविधान का पहला संशोधन लाया गया, जिसके माध्यम से उचित प्रतिबंध जोड़कर, अभिव्यक्ति की निर्बाध स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया जो सार्वजनिक व्यवस्था के हेतु उचित माने गये तथा जो अपराध को भडकाने के बाबत हो। प्रथम संशोधन में मानहानि पर प्रतिबंध नहीं था, जब तक कथन से सार्वजनिक अव्यवस्था को खतरा न हो, अपराध को भडकाने की वजह न हो। किसी की मानहानि का अर्थ है उस व्यक्ति के यश को आघात पहुंचाना। व्यक्ति के लिये यश, सम्मान प्रोपर्टी का एक रूप है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसकी सम्पत्ति के अधिकार जैसा है।

जिस शब्दावली के आधार पर वादी ने मानहानि का दावा किया है अथवा फौजदारी शिकायत याचिका दायर की है उसके हेतु उसे साबित करना होगा कि कथन झूठा है। मानहानि के दावे में कथन झूठा नहीं है, साबित करने का भार अभियुक्त पर है। यहां यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि अपराध कारक शब्दों की सत्यता हर्जे के दावे के लिये अच्छा बचाव है, किन्तु आपराधिक कृत्य के हेतु नहीं है। व्यक्ति को साबित करना होगा कि कथन सत्य है, केवल अफवाह के आधार पर नहीं है, किन्तु यह कहना जरूरी है कि वह सार्वजनिक हित में है। यदि हम संविधान में कही गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करें तो यह सही है कि यह स्वतंत्रता अक्षुण्ण नहीं है वह सार्वजनिक आर्डर, नीति के आधार, देश की अखण्ड़ता व स्वास्थ्य के नियमों के विरूद्ध नहीं हो। लोकहित के चरित्र हनन क्षम्य नहीं हो सकता। राजनेताओं पर मानहानि के केसेज बहुत होते हैं, किन्तु उनमें गम्भीरता नहीं है। जग दिखावा अधिक है। जेटली व केजरीवाल के केस अपनी अपनी परिस्थितियों के घेरे में सही हो सकते हैं। सार्वजनिक सभाओं, कार्यक्रमों में तथा चुनावी सभाओं में भाषणों के समय देखते हैं कि कैसी कैसी भद्दी गालियां बकी जाती हैं, इससे समाज के साधारण व्यक्ति पर असर पड़ता है, पीड़ा होती है कि हमारे स्तर में कितनी गिरावट आ गई है। क्या हम ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में रहना चाहते हैं? सार्वजनिक हित, राष्ट्र की सुरक्षा आदि में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर हम कुछ अंकुश लगाना अवश्य ही चाहेंगे। समाज को सुधारना भी आवश्यक है। समाज भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। रेप में फांसी की सजा के उपरान्त भी रेप नहीं रूक रहे हैं। अत: सुधारने के नाम पर भी हम नये नये तरीके तलाश करने होंगे। लोक हित में चरित्र हनन क्षम्य नहीं हो सकता। व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करना राज्य का धर्म है।

यहां यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि अपराध कारक शब्दों की सत्यता हर्जे के दावे के लिये अच्छा बचाव है, किन्तु आपराधिक कृत्य के हेतु नहीं है। व्यक्ति को साबित करना होगा कि कथन सत्य है, केवल अफवाह के आधार पर नहीं है, किन्तु यह कहना जरूरी है कि वह सार्वजनिक हित में है। यदि हम संविधान में कही गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करें तो यह सही है कि यह स्वतंत्रता अक्षुण्ण नहीं है वह सार्वजनिक आर्डर, नीति के आधार, देश की अखण्ड़ता व स्वास्थ्य के नियमों के विरूद्ध नहीं हो। लोकहित के चरित्र हनन क्षम्य नहीं हो सकता।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1) में दिया है और अनुच्छेद 19(2) से (6) में उसे प्रतिबंधित किया है। अनुच्छेद 19(2) में राज्य को भारत की संप्रभुता तथा अखण्ड़ता, राज्य की सुरक्षा, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार व सदाचार के हितों में या न्यायालय की अवमानना, मानहानि या अपराध उद्दीपन के संबंध में उचित कानून बनाकर इस अधिकार के प्रयोग पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने का अधिकार है।

भारतीय दण्ड़ संहिता की धारा 499 में मौखिक अभिव्यक्ति व लेख द्वारा अभिव्यक्ति में अन्तर नहीं है। यह फौजदारी कानून है। सिविल कानून के रूप में कोई कानून नहीं है। एक कानून है जो प्रेस पर लागू होता है। इसे प्रिवेन्शन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ ऑब्जेकशनेवल मेटर एक्ट, 1976 के नाम से जाना जाता है।

लेखक ने अपने एक लेख में, जिसका शीर्षक "क्या धारा 500 की मानहानि पर सजा अभिव्यक्ति के अधिकार का हनन करती है" में लिखा था, "धारा 500 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का प्रावधान भारत गणतंत्र में संविधान के अनुच्छेद 19(क) के संदर्भ में मत अभिव्यक्त किया था वह संवैधानिक नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जब तक खण्ड़ (2) की भावना का अतिरेक नहीं करती तो उसे आपराधिक कृत्य मानना सर्वथा गलत है। आलोचना कितनी ही तीखी भी हो तो भी दण्ड़नीय नहीं हो सकती। मानहानि का अपराध तभी माना जावेगा जब शब्दावली ने स्थिति को भड़कीला बनाया हो। सर्वोच्च न्यायालय ने आरटीआई एक्ट की धारा 66(क) में जिसमें फेसबुक, ट्वीटर जैसे सोशल मिडिया पर कम्प्यूटर या मोबाईल फोन से आक्रामक व आपत्तिजनक झूठा या मानहानिकारक संदेश भेजना अपराध माना है, किन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अतिक्रमण माना है और अवैध करार दिया है। इससे स्पष्ट संकेत है कि धारा 500 भारतीय दण्ड संहिता का मानहानि का अपराध असंवैधानिक है। इसे चुनौती दी जा सकती है।

नये कानून भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 356 में Defamation के अपराध के बाबत कहा गया है। परिभाषा के अनुसार उसमें 10 Explanation हैं उन्हें समझना आवश्यक है। पूर्व कानून में Defamation की परिभाषा धारा 499 में थी। 4 Explanation हैं और अपवाद हैं।

मिन्हाज मर्चेन्ट ने अपने एक लेख में जो दिनांक 03.04.2025 के अखबार दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुआ, लिखा है कि "बोलने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन किस सीमा तक?" में कुणाल कामरा ने एकनाथ सिंदे का नाम लिये बिना कहा है, कि उनके कथन को अनदेखी कर देना चाहिये। क्योंकि हमला जब तक स्पष्ट रूप से भडकाने वाला न हो उसे चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहिये। कुणाल कामरा एक कॉमेडियन है उनका काम ही लोगों की मजाक उडाना है। मिन्हाज मर्चेन्ट का मानना है कि तथाकथित कथन किसी कानून का उल्लंघन नहीं करता।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सम्बन्ध में हमें संविधान के अनुच्छेद 105 की ओर भी ध्यान देना होगा। अनुच्छेद 105 संसद के सदनों, उनके सदस्यों तथा उनकी समितियों के अधिकारों, विशेषाधिकार आदि के बारे में उपबन्ध करता है। सांसदों को सदन में बोलने की आजादी है, उन्हें न्यायिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है। सांसद के विरूद्ध न्यायिक कार्यवाही उनके विशेषाधिकार का उल्लंघन है। सर्चलाइट के मामले में सदस्यों को बोलने की पूर्ण स्वतंत्रता है। जहां साधारण नागरिकों के वाक् स्वातंत्रय पर अनुच्छेद 19(2) के अधीन बनाई गई विधि द्वारा अंकुश लगाया जा सकता है किन्तु सांसदों को न्यायालय की कार्यवाही से उन्मुक्ति है।

अमेरिका के अरबपति एलन मस्क की सोशल मीडिया साइट एक्स की ओर से भारत में सेंसरशिप के आरोपों के साथ दायर शिकायत पर केन्द्र सरकार ने हाईकोर्ट की कार्यवाही में यह जबाव दिया है कि गैर कानूनी सामग्री को अभिव्यक्ति की आजादी के मूल मौलिक अधिकार के बराबर संवैधानिक प्रोटेक्शन (संरक्षण) नहीं दिया जा सकता। डिजिटल अधिकारों और सुरक्षा को बनाये रखने के लिये यह समय पर हस्तक्षेप करना निर्वाचित सरकार के हेतु आवश्यक है।

समय बदल रहा है, साइबर स्पेस में डिजिटल बदलाव के साथ साइबर संकट तेजी से बढ़ रहे हैं। हानिकारक जानकारी, नागरिकों पर विपरीत प्रभाव डाल रही है, इन्हें रोकना जरूरी है। सभी उपभोगकर्ताओं के डिजिटल अधिकारों की रक्षा आवश्यक है।

कई प्रकार के विवाद न्यायालयों में बढ़ेंगे। इन सब स्थितियों पर गम्भीरता से विचार करना है और ध्यान रखना है कि "गैर कानूनी सामग्री को अभिव्यक्ति की आजादी का संरक्षण नहीं है।" सुप्रीम कोर्ट में मामला लम्बित है जहां इस विषय में अन्तिम निर्णय होगा। पाठकों के समक्ष एक दृष्टिकोण रखा गया है। आशा है कानून नये रूप में नया सवेरा लेकर आयेगा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हमारा मौलिक अधिकार अक्षुण्ण रहेगा।

सबको सन्मति दे भगवान!

-अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश,
राजस्थान हाईकोर्ट

महिलाओं की शिक्षा के प्रेरणा पुंज "ज्योतिबा फुले"

प्रो. मनोज कुमार बहरवाल

विद्या बिना मति गयी, मति बिना नीति गयी
नीति बिना गति गयी, गति बिना वित्त गया
वित्त बिना शूद्र गये, इतने अनर्थ एक अविद्या ने किये!

ज्योतिबा फुले का यह ध्येय वाक्य मानव जाति के सांगोपांग विकास का मन्त्र है। व्यक्ति हो अथवा समाज या राष्ट्र अथवा विश्व सभी के सर्वांगीण विकास में ज्योतिबा फुले के यह विचार आज भी प्रासंगिक हैं। 11 अप्रेल 1827 को पुणे में एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिसे महात्मा ज्योतिबा कहा गया। फुले नाम इस कारण पड़ा कि उनका परिवार फूल माली का काम करता था। वे सतारा से पूना आकर बसे थे। बाल्यकाल में ही आपकी माता जी का निधन हो गया। आपका पालन-पोषण एक बाई ने किया। आपने प्रारम्भिक शिक्षा मराठी माध्यम से की। कुछ विकट परिस्थितियों के कारण अध्ययन बीच में ही छोड़ना पड़ा। शिक्षा की लगन और महत्व के कारण 21 वर्ष की आयु में ज्योतिबा ने कुछ समय पहले तक मराठी में अध्ययन किया, बीच में पढाई छूट गई और बाद में 21 वर्ष की आयु में अंग्रेजी माध्यम से 7 कक्षा की पढाई पूरी की। इनका विवाह 1840 में सावित्री बाई से हुआ, जो बाद में स्व्यं एक प्रसिद्ध समाजसेवी बनीं। दलित और स्त्री शिक्षा के क्षेत्र फुले दम्पति ने बहुत काम किया और कर्मठता से समाज की सेवा की।

विधवा महिलाओं का कल्याण :- महात्मा जी ने मिलकर विधवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए अथक कार्य किया। इसके साथ ही किसानों की दयनीय दशा सुधारने और उनके कल्याण के लिए भी अथक प्रयास किये।

महिला शिक्षा :- स्त्रियों की शैक्षिणक दशा सुधारने और महिला शिक्षा उन्नयन के लिए फुले ने 1848 में एक पाठशाला का शुभारम्भ किया। यह भारत की प्रथम बालिका पाठशाला थी। तत्कालीन समाज इतना जड़ बुद्धि था कि इन लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिली तो उन्होंने कुछ दिन स्वयं यह काम करके अपनी पत्नी सावित्री फुले को इस योग्य बना दिया। कुछ लोगों ने आरम्भ से ही उनके काम में बाधा डालने की चेष्टा की, किंतु जब फुले आगे बढ़ते ही गए। तत्कालीन पुरातनपंथी समाज के लोगों ने उनके पिता पर दबाब डालकर पति-पत्नी को घर से निष्काषित करवा दिया। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत ! इस वाक्य का प्रतिबिम्ब रहे महात्मा फुले। थोड़े समय के लिए बालिका शिक्षा का कार्य अवरुद्ध रहा। परन्तु फुले ने हिम्मत नहीं हारी अपने अथक प्रयासों से उन्होंने शीघ्र ही उन्होंने एक के बाद एक बालिकाओं के तीन स्कूल ओर प्रारम्भ किये।

भारतीय सन्त परम्परा के पक्षधर :- भारत के सभी संतों की व्यक्तित्व और कृतित्व का गहन अध्ययन ज्योति बा ने किया और उन सभी ज्ञानात्मक पक्ष को सभी के सामने प्रस्तुत किया। संतों के दार्शनिक अध्ययन के बाद आपको यह तात्विक ज्ञान मिला कि जब ईश्वर के सामने सब नर-नारी समान हैं तो उनमें ऊँच-नीच का भेद क्यों होना चाहिए ?

निर्धन तथा निर्बल वर्ग को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा ने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। आपकी निर्धनों के प्रति और निर्बलों के प्रति समाज सेवा की सच्ची भावना को देखकर 1888 में मुम्बई में एक सभा में आपको महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया।

पाखण्ड के विरोधी :- ज्योति बा ने पुरोहित पंथी का विरोध किया ब्राहमणवाद का विरोध किया और इनके बिना ही शादी ब्याह करवाए और उनके इस कार्य को मुम्बई उच्च न्यायालय ने मान्यता प्रदान की। आपने बड़ी ही बुलन्द आवाज से बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह का समर्थन भी किया। आपने अनेक पुस्तकों जैसे कि गुलामगिरी, तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी, राजा भोसला का पखड़ा, किसान का कोड़ा, अछूतों की कैफियत आदि-आदि। आपने किसानों के हित में संघर्ष किया और आपके अथक प्रयासों के कारण ही तत्कालीन सरकार ने 'एग्रीकल्चर एक्ट' पारित किया। धर्म, समाज और आडम्बरों के सत्य को वे समाज के सामने लेकर आए। फुले के शैक्षिणक संघर्ष और उनकी महिलाओं के प्रति दूरगामी दृष्टि को देखकर तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार ने 1883 में आपको 'स्त्री शिक्षण के आद्यजनक' समान सूचक शब्दों से उनका सम्मान किया और उनके गौरव में वृद्धि की।

वर्तमान में भारत ही नहीं वैश्विक स्तर पर राजनैतिक और शैक्षिणक क्षेत्रों में महिलाएं जो नेतृत्व कर रहीं हैं यह सभी की प्रेरणा के पुन्ज महात्मा ज्योति बा फुले ही हैं। आइए आज के इस पावन जन्म जयंति के अवसर पर हम सभी महात्मा फुले से प्रेरणा लेते हुए महिला / बालिका शिक्षा और उनके सर्वंगीण विकास और कल्याण के लिए पूरे मनोयोग से संकल्प लें और सदैव महिलाओं के विकास और कल्याण के लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक प्रयास करें। यही है हमारी और हम सभी की भारतीय संस्कृति। यही हमारी और आपकी तथा हम सभी की पहचान और शक्ति बने यही भाव हम सभी में जाग्रत हो। आप सभी को महात्मा ज्योतिबा फुले की जन्म जयंति पर आप सभी को मंगलकामनाएं।

प्रो. (डॉ.) मनोज कुमार बहरवाल
प्राचार्य, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, अजमेर।

इंदिरा गांधी नहर में 20 अप्रैल के बाद कभी भी पूर्ण नहरबंदी

बीकानेर संभाग के चारों जिलों के साथ ही जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर को भी इंदिरा गांधी नहर से पानी नहीं मिलेगा

बीकानेर, (निसं)। पश्चिमी राजस्थान के दर्जनभर जिलों की प्यास बुझाने वाली इंदिरा गांधी नहर में 20 अप्रैल के बाद कभी भी पूर्ण नहरबंदी हो सकती है। फरवरी महीने से नहर में सिर्फ पीने का पानी मिल रहा है, लेकिन अब ये पानी आना भी बंद हो जाएगा। इससे बीकानेर संभाग के चारों जिलों के साथ ही जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर को भी इंदिरा गांधी नहर से पानी नहीं मिलेगा। पूर्ण नहरबंदी से पहले जलदाय विभाग एक महीने तक जल आपूर्ति करने के लिए अपने जलाशय लबालब कर चुका है।

इंदिरा गांधी नहर के अतिरिक्त मुख्य अभियंता (प्रशासन) विवेक गोयल ने बताया कि 6 फरवरी से नहर में सिर्फ पीने का पानी दिया जा रहा है। आंशिक नहर बंदी के चलते सभी जिलों में पीने का पानी दिया जा रहा है। सिंचाई के लिए फिलहाल पानी नहीं दिया जा रहा है। किसान सिंचाई के लिए पानी का संग्रहण भी नहीं कर सकते। पूर्ण नहरबंदी 20 अप्रैल के बाद कभी भी हो सकती है। ऐसे में 30 दिन तक नहर में पानी नहीं आएगा। वर्तमान में सभी जिलों को पानी का संग्रहण करने के निर्देश हैं। सभी जिलों में जलदाय विभाग ने आवश्यक पानी का संग्रहण कर लिया है। बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, फलौदी, सीकर, झुंझुनूं में नहरबंदी का असर दिखाई देगा। इन जिलों को पीने का पानी इंदिरा गांधी नहर से मिलता है। श्रीगंगानगर को अधिकांश पानी भाखड़ा नहर से मिलता है। ऐसे में श्रीगंगानगर में संकट कम होगा। शेष

■ पूर्ण नहरबंदी से पहले जलदाय विभाग एक महीने तक जल आपूर्ति करने के लिए अपने जलाशय लबालब कर चुका है

जिलों में एक महीने में जल संकट आएगा। गर्मी के दिनों में ही किसानों को सिंचाई के लिए पानी की जरूरत नहीं होती। इस समय अधिकांश फसलों में पानी की जरूरत नहीं है। ऐसे में नहर बंदी अप्रैल-मई के बीच ही होती है। इस बार भी इसी अवधि में होगी।

पोंगडेम से आने वाला पानी पंजाब होते हुए राजस्थान आता है। दोनों ही राज्य अप्रैल और मई में नहर की मरम्मत का काम करते हैं। पूरे साल में जहां भी टूट-फूट होती है, वहां इसी अवधि में मरम्मत होती है। इसके अलावा पानी में जमा सिल्ट को भी इसी दौरान बाहर निकाला जाता है। आमतौर पर सभी जिलों में नहरबंदी के दौरान प्रशासन प्रति व्यक्ति पानी में कटौती करता है। अगर एक महीने का पानी संग्रहित है तो उसे डेढ़ महीने तक वितरित करने के हिसाब से पानी की कटौती होती है। ये कटौती ही जल संकट और आम लोगों में आक्रोश का कारण बनती है। जलदाय विभाग ये सोचकर कम पानी देता है कि नहर बंदी की अवधि बढ़ गई तो जनता की प्यास बुझाने के लिए पानी की आवश्यकता होगी।

बीकानेर जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता खेमचंद सिंगारिया ने उपभोक्ताओं से पानी की बचत और जल संरक्षण में योगदान की अपील की है। पेयजल से संबंधित समस्या के निदान के लिए कंट्रोल रूम 24 घण्टे लगातार कार्य करेगा।

विभाग की ओर से अवैध जल संबंध हटाने का अभियान 22 मार्च से आरम्भ है। अभियान के अंतर्गत अब तक 439 अवैध जल संबंध विच्छेद किए हैं। अभियान के अंतर्गत सभी सहायक अभियंता अपने क्षेत्र में नियमित रूप से अवैध जल संबंधों को चिह्नित कर रहे हैं। विभागीय निर्देशों की अनुपालना में अवैध जल संबंध पाये जाने पर एफआईआर कर दी जाएगी, जिसमें विभागीय संपत्ति को नुकसान करना तथा जल चोरी की मात्रा के आंकलन अनुसार शास्ती आरोपित की जाएगी।

टोल को लेकर किसानों का प्रशासन से टकराव

नजदीकी गांवों को टोल फ्री करने की मांग, 28 सितंबर 2025 के बाद टोल नहीं चलने देने की चेतावनी दी

श्रीगंगानगर, (निसं)। जिले के पदमपुर कस्बे में गुरुवार को पदमपुर-गंगानगर मार्ग पर स्थित 18 बीबी टोल नाका को लेकर स्थानीय किसानों और प्रशासन के बीच गतिरोध जारी है। नजदीकी गांवों को टोल मुक्त करने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी अजीत गोदारा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में टोल एजेंसी, टोल संघर्ष समिति और पीडब्यूडी विभाग के उच्च अधिकारी मौजूद थे। टोल संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि 28 सितंबर 2025 को टोल वसूली की अवधि समाप्त होने के बाद टोल को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि टोल शुल्क नियमों के अनुरूप लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अवधि पूरी होने के बाद सड़क का व्यापक सुधार कर राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार बेहतर सुविधाओं के साथ एक नया टोल नाका स्थापित किया जा सकता है। किसान नेता सुखबीर सिंह फौजी, लखविंदर सिंह, रामकुमार और दिलबाग सिंह ने टोल एजेंसी और पीडब्ल्यूडी विभाग की कार्यप्रणाली पर आपत्ति जताई है। उनका आरोप है कि नियम-कायदों की अनदेखी की जा रही है। किसान नेताओं ने पदमपुर से जैतसर मार्ग की निर्माणाधीन सड़क और पदमपुर-गजसिंहपुर सड़क की खराब स्थिति का भी मुद्दा उठाया। एसडीएम अजीत कुमार गोदारा ने आश्वासन दिया है कि समस्या को गंभीरता से लेते हुएकलेक्टर को रिपोर्ट भेज दी गई है। बैठक में थाना प्रभारी सुरेंद्र राणा, तहसीलदार दर्शन देवी, अति. प्रशासनिक अधिकारी सुखदेव सिंह, किसान प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

अनूपगढ़ में पारा 40 डिग्री पार पहुंचा

चार दिन हीट वेव की चेतावनी

अनूपगढ, (निसं)। यहां गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। पिछले दो दिनों से दोपहर तक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर रहा है। गर्मी के कारण मुख्य बाजार और गलियों में लोगों की आवाजाही कम हो गई है। स्थानीय मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिनों में तापमान में और वृद्धि की चेतावनी दी है। विभाग ने हीट वेव को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। मई-जून में इस क्षेत्र का तापमान 47-48 डिग्री तक पहुंच जाता है।

वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. मुरलीधर कुमावत के अनुसार, लगातार बढ़ती गर्मी और लू से हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। अत्यधिक पसीना आना, चक्कर आना, त्वचा का गर्म और सूखा होना हीट स्ट्रोक के लक्षण हैं।

ऐसी स्थिति में तुरंत छाया में जाकर शरीर को ठंडा करें और डॉक्टर से संपर्क करें। गर्मी से बचाव के लिए दोपहर 12 से 3 बजे तक बाहर न निकलें। हल्के सूती कपड़े पहनें और सिर को ढककर रखें। पर्याप्त मात्रा में पानी और ओआरएस का सेवन करें। बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। बाहर का बासी या अधिक तला-भुना भोजन न खाएं। अस्पताल में पहले से ही गर्मी से प्रभावित पेट दर्द और दस्त के मरीज आने शुरू हो गए हैं।

राशिफल शुक्रवार 11 अप्रैल, 2025

पंडित अनिल शर्मा

चैत्रमास शुक्ल पक्ष, चतुरदशी तिथि, शुक्रवार विक्रम सम्वत 2082, उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र दिन 3.10 तक, ध्रुव्र योग सायं 7.45 तक, गरकरण दिन 2.11 तक, चन्द्रमा आज कन्या राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मीन, चन्द्रमा-कन्या, मंगल-कर्क, बुध-मीन, गुरु-वृष, शुक्र-मीन, शनि-मीन, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में संचार करेगा।

आज रवियोग दिन 3.10 तक है। भद्रा रात्रि 3.22 से आरम्भ होगी। आज महात्मा ज्योतिबा फूले जयन्ती है। शिव दमनोत्सव चतुरदशी है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 7.45 तक, लाभ-अमृत 7.45 से 10.54 तक, शुभ 12.28 से 2.02 तक, चर 5.11 से सूर्यास्त तक

राहूकाल: - 10.30 से 12.00 तक सूर्योदय 6.11 सूर्यास्त 6.45

मेष

स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे।

सिंह

आर्थिक-वित्तीय मामलों में संतुलन बना रहेगा। संभावित धन प्राप्त होगा। आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक अनुबन्ध प्राप्त होंगे।

धनु

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता-सुगमता से बनने लगेंगे। चलते कार्यों में प्रगति होगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में अथितियों का आगमन रहेगा।

वृष

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा।

कन्या

व्यावसायिक सम्पर्क बनेगे। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। परिवार में आपसी सहयोग समन्वय बना रहेगा। धार्मिक स्थान की यात्रा सम्भव है।

मकर

व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। घर परिवार में धार्मिक सामाजिक समारोह संपन्न हो सकते हैं।

मिथुन

घर-परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो सकते हैं। परिवार में सुख-सुविधायें बडेगी। व्यावसायिक आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

तुला

व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों को भाग-दौड रहेगी। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है

कुंभ

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। आज नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा नहीं है। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।

कर्क

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। शुभ कार्य के लिए यात्रा सम्भव है।

वृश्चिक

आर्थिक-वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। अटका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सोच विचार हो सकता है।

मीन

परिवार में आपसी सहयोग समन्वय बना रहेगा। परिवार में आपसी सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में मनोरंजन मौजमस्ती के कार्यक्रम बन सकते हैं। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा।